सं0 14028/2/98-स्था0 (छुट्टी)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक जुलाई 30 , 1998

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: अर्जित अवकाश के संचय और नकदीकरण की सीमा का 240 से बढ़ाकर 300 दिन तक किया जाना - पुनर्नियोजन की समाप्ति पर अर्जित अवकाश के नकदीकरण के क्रम में, उसके परिकलन के बारे में स्पष्टीकरण ।

अधोहस्ताक्षरी को पाँचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में अर्जित अवकाश के संचय और उसके नकदीकरण की सीमा बढ़ाए जाने के बारे में इस विभाग के दिनांक 07.10. 1997 के कार्यालय ज्ञापन सं0 14028/07/97-स्था0 (छुट्टी) के संदर्भ में यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि बहुत से ऐसे संदर्भ मिलते आ रहे हैं जिनमें यह स्पष्टीकरण चाहा गया है कि पुनर्नियोजित व्यक्तियों के पुनर्नियोजन की समाप्ति पर उनके अर्जित अवकाश के नकदीकरण के दावे किस तरीके से विनियमित किए जाने अपेक्षित हैं ।

2. उपर्युक्त मामले पर, इस विभाग में विचार किया गया है और यह तय किया गया है कि पुनर्नियोजित व्यक्तियों के पुनर्नियोजन की 01.07. 1997 को अथवा उसके बाद समाप्ति पर उनके अर्जित अवकाश का नकदीकरण निम्नानुसार विनियमित किया जाए:-

(i) जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी ने अपनी सेवा-निवृत्ति के समय, 240 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण का लाभ उठा लिया हो वहाँ उक्त कर्मचारी के पुनर्नियोजन की समाप्ति की तारीख़ को उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश के संबंध में उसे देय समतुल्य नकद-धनराशि, उक्त कर्मचारी द्वारा 01.07.1997 से आगे अर्जित किए गए अर्जित अवकाश के नकदीकरण तक ही सीमित कर दी जाए ।

(ii) जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी ने अपनी सेवा-निवृत्ति के समय 240 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण का लाभ नहीं उठाया हो, वहाँ उसके पुनर्नियोजन की समाप्ति की तारीख़ को उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश के संबंध में उसे देय समतुल्य नकद धनराशि, उक्त कर्मचारी द्वारा 01.07.1997 से आगे अर्जित किए गए अर्जित अवकाश और अर्जित अवकाश के अप्रयुक्त भाग के नकदीकरण अर्थात् 240 दिन और पहले ही नकदीकृत करवा लिए गए अर्जित अवकाश के बीच के अन्तर तक ही सीमित कर दी जाए ।

उपर्युक्त दोनों मामलों में, सेवा-निवृत्ति के समय पहले ही नकदीकृत करवा लिया गया और

...2/-

पुनर्नियोजित व्यक्तियों के पुनर्नियोजन की समाप्ति पर नकदीकृत करवाने दिया जाने वाला ऊपर दर्शाया गया अर्जित अवकाश दोनों मिलाकर कुल 300 दिन से अधिक का नहीं हो ।

3. ये अनुदेश जुलाई 01, 1997 से प्रवृत्त होंगे ।

4. जहाँ तक भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा-विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

(बी॰नागर)
भारत सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(पृष्ठांकन मानक सूची के अनुसार)